# अनुदान संख्या 47 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

# GRANT No. 47 – DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत - | Voted - | | | | | |
| मूल | Original | 1064,00,00 | | 1064,08,00 | 760,33,40 | - 303,74,60 |
| पूरक | Supplementary | 8,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 278,91,52 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत- | Voted - | | | | | |
| मूल | Original | 24,00,00 | | 24,40,00 | 24,00,00 | -40,00 |
| पूरक | Supplementary | 40,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | शून्य Nil |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें /अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2551" | Major Head "2251" | | | | |
| सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | Secretariat –Social Services | | | | |
| मू. | O. | 1230.00 | 1566.50 | 1528.11 | -38.39 |
| पु. | R. | 336.50 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2210" | Major Head "2210" | | | | |
| चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | Medical and Public Health | | | | |
| मू. | O. | 96170.00 | | | |
| पू. | S. | 6.00 | 76949.98 | 74505.29 | -2444.69 |
| पु. | R. | -19226.02 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 9000.00 | | | |
| पू. | S. | 2.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | - 9002.00 | | | |

(I) ₹12582.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अठारह शीर्षों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹12582.00 lakhs remained wholly unutilized in eighteen cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(A) Major Head "2210"–

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" -

(a) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines"–

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes"–

(1) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड" - ₹480.00 लाख; और

(1) "National Medicinal Plant Board"– ₹480.00 lakhs; and

(2) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन" - ₹500.00 लाख।

(2) "National Mission on Medicinal Plant"– ₹500.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड के कार्यकलाप भूमि पर आधारित होने की वजह से अनुसूचित जाति जनसंख्या से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from Scheduled Caste population owing to activities of National Medicinal Plant Board, being land based.

(3) "आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्यधारा में लाना" - ₹1500.00 लाख ;

(3) "Development of AYUSH Hospital and Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH"– ₹1500.00 lakhs;

(ii) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्यधारा में लाना" - ₹400.00 लाख;

(ii) "Tribal Area Sub Plan – Development of AYUSH Hospital and Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH"– ₹400.00 lakhs;

(ख) ''चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' -

(i) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना - आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - ₹500.00 लाख; और

(ii) ''जनजाति क्षेत्र उप योजना - आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - ₹200.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड'' - ₹600.00 लाख;

(ii) ''राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन'' - ₹600.00 लाख;

(iii) ''आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्यधारा में लाना'' - ₹2800.00 लाख;

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां''-

(i) ''पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट'' - ₹802.00 लाख (अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;

(ii) ''पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग'' - ₹1900.00 लाख;

(iii) ''केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को अनुदान'' - ₹300.00 लाख;

(ग) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद'' -

(b) "Medical Education, Training and Research"–

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Development and Upgradation of AYUSH Institutions/Colleges"– ₹500.00 lakhs; and

(ii) "Tribal Area Sub Plan – Development and Upgradation of AYUSH Institutions/ Colleges"– ₹200.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-receipt of utilization certificates.

(B) Major Head "2552"-

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines – Other Systems"-

(i) "National Board for Medicinal Plants"– ₹600.00 lakhs;

(ii) "National Mission on Medicinal Plants"– ₹600.00 lakhs;

(iii) "Development of AYUSH Hospitals and Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH"– ₹2800.00 lakhs;

(b) "Medical Education, Training and Research – Other Systems"–

(i) "North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat"– ₹802.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012);

(ii) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong"– ₹1900.00 lakhs;

(iii) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy"– ₹300.00 lakhs;

(c) "Medical Education, Training and Research – Ayurveda"–

(i) ''आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - ₹500.00 लाख;

(ii) ''केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - ₹500.00 लाख;

(घ) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - निदेशन और प्रशासन'' -

(i) ''सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय'' - ₹150.00 लाख;

(ii) ''आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृटता केंद्रों को सहायता'' - ₹250.00 लाख;

(ङ) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - ₹300.00 लाख; और

(च) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा परिषद को अनुदान'' - ₹300.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(i) ''आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठी कार्यशाला पर व्यय'' - ₹259.61 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(i) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges"– ₹500.00 lakhs;

(ii) "Grants to Central Council for Research in Ayurveda Sciences"– ₹500.00 lakhs;

(d) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Direction and Administration"–

(i) "Expenditure on Information, Education and Communication"– ₹150.00 lakhs;

(ii) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non- governmental/Private Sector engaged in Ayush Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc."– ₹250.00 lakhs;

(e) "Medical Education, Training and Research – Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy"– ₹300.00 lakhs; and

(f) "Medical Education, Training and Research – Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine"– ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2210"– savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines"-

(a) "Direction and Administration"–

(i) "Expenditure on International Exchange Prog/Seminar Workshop on AYUSH"– saving of ₹259.61 lakhs (against the

दूतावासों और अन्य संगठनों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय'' - ₹456.43 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागालैंड और अरुणाचल राज्यों द्वारा अरोग्य मेला का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''पाठ्य पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों का अधिग्रहण, सूची में डालना, डिजिटाइजेशन और प्रकाशन संबंधी स्कीम'' - ₹194.30 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आयुर्वेद'' -

(i) ''एएसयू पर औषध कोष समिति और भारतीय चिकित्सा औषधीय आयोग को सुदृढ़ करना'' - ₹119.92 लाख की बचत (₹262.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकें आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, नई दिल्ली'' - ₹1912.00 लाख की बचत (₹5412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों) के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान आदि'' - ₹166.32 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''आयुष उद्योग समूह के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास'' - ₹1668.40 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव

sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Embassies and other organizations.

(ii) "Expenditure on Information, Education and Communication"– saving of ₹456.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to non holding of AROGYA Mela in the States of Nagaland and Arunachal Pradesh.

(iii) "Scheme for Acquisition, Cataloging, Digitisation and Publication of Text Books and Manuscripts"- saving of ₹194.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-receipt of appropriate proposals.

(b) "Ayurveda"–

(i) "Pharmacopoeia Committee on ASU and Strengthening of Pharmacopoeial Commission of Indian Medicine (PCIM)"– saving of ₹119.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹262.00 lakhs) was due to non-conducting of meetings.

(ii) "All India Institute of Ayurvedic (AIIA), New Delhi"– saving of ₹1912.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5412.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(c) "Other Systems"–

(i) "Grants for Extra Mural Research Projects through Research Instt. (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) etc."– saving of ₹166.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(ii) "Development of common facilities for AYUSH Industry clusters"– saving of ₹1668.40 lakhs (against the sanctioned

प्राप्त न होने और चालू परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and delayed receipt of proposals for ongoing projects.

(iii) "आयुष और लोक स्वास्थ्य" - ₹690.25 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(iii) "Ayush & Public Health"– saving of ₹690.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and slow progress of ongoing projects.

(iv) "आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास और आयुष को मुख्यधारा में लाना" - ₹13456.72 लाख की बचत (₹22800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) "Development of AYUSH Hospitals and Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH"– saving of ₹13456.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22800.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from States.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -

(B) "Medical Education, Training and Research"-

(क) "आयुर्वेद" -

(a) "Ayurveda"–

(i) "आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, जामनगर को अनुदान" - ₹743.73 लाख की बचत (₹3162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए वस्तु शीर्ष "सहायता अनुदान - वेतन" के खोलने और स्नातकोत्तर आयुर्वेद प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अदायगी का अनुमोदन किए जाने में विलंब होने की वजह से प्रावधान को दो भागों में बांटे जाने के कारण हुई।

(i) "Grants to Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar"– saving of ₹743.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3162.00 lakhs) was due to bifurcation of provision owing to opening of new object head 'Grant-in-aid-Salaries' and delay in approval by the Institute of Post Graduate Training and Research in Ayurveda, Jamnagar for payment to Central Public Works Department.

(ii) "केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹450.48 लाख की बचत (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10301.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) "Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences"– saving of ₹450.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10301.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2011) was due to availability of unspent balance of previous year.

(iii) "भारतीय चिकित्सा औषधीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद" - ₹129.47 लाख की बचत (₹367.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(iii) "Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad"- saving of ₹129.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹367.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(iv) "राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुदान" - ₹387.88 लाख की बचत (₹505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रों के दाखिले में विलंब होने के कारण हुई।

(v) "एएसयू एवं एच औषधियों का गुणत्ता नियंत्रण" - ₹680.28 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(vi) "आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन" - ₹1700.10 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य पद्धतियां" -

(i) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹430.00 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और नए वस्तु शीर्ष "सहायता अनुदान - वेतन" खोले जाने की वजह से प्रावधान को दो भागों में बांटे जाने के कारण हुई।

(ii) "आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता" - ₹1355.30 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्ष के अंतर्गत ₹138.93 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत और 84 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7478.11 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹8.00 लाख का

(iv) "Grants to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi"- saving of ₹387.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹505.00 lakhs) was due to delay in admitting students.

(v) "Quality control of ASU&H Drugs"- saving of ₹680.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates.

(vi) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges"- saving of ₹1700.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(b) "Other Systems"–

(i) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy"– saving of ₹430.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and bifurcation of provision owing to opening of new object head 'Grant-in-aid-Salaries'.

(ii) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental / Private Sector engaged in AYUSH Education / Drug Development and Research / Clinical Research / Folk Medicine etc."– saving of ₹1355.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(III) Under two heads savings of ₹138.93 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 42 percent and 84 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹7478.11 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(I) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी" - ₹336.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹298.11 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" -

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां- अन्य पद्धतियां" -

(क) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड" - ₹489.13 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹479.12 लाख था।

(ख) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड" - ₹368.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹397.48 लाख था।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -

(क) "आयुर्वेद - राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान" - ₹338.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹294.00 लाख था।

(ख) "होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹318.00 लाख।

(ग) "यूनानी" - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹2448.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2389.00 लाख था।

(घ) "अन्य पद्धतियां" -

(i) "मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान" - ₹210.48 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹204.29 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान" - ₹370.00 लाख।

obtaining token supplementary grant of ₹8.00 lakhs in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(I) Major Head "2251"– "Secretariat – Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy"– ₹336.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹298.11 lakhs.

(II) Major Head "2210"-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems"–

(a) "National Board for Medicinal Plants"- ₹489.13 lakhs. Actual excess, however, was ₹479.12 lakhs.

(b) "National Mission on Medicinal Plants"– ₹368.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹397.48 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research"-

(a) "Ayurveda - Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur"- ₹338.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹294.00 lakhs.

(b) "Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy"– ₹318.00 lakhs.

(c) "Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine"- ₹2448.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2389.00 lakhs.

(d) "Other Systems"-

(i) "Morarji Desai National Institute of Yoga"- ₹210.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹204.29 lakhs.

(ii) "Grants to National Institute of Siddha, Chennai"- ₹370.00 lakhs.

(iii) ''पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट'' - ₹700.00 लाख।

(iv) ''पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग'' - ₹1900.00 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹40.00 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹40.00 लाख के पूरक अनुदान का 100 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

(iii) "North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat"- ₹700.00 lakhs.

(iv) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong"- ₹1900.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹40.00 lakhs) constituted 100 percent of the supplementary grant of ₹40.00 lakhs obtained in March, 2012 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health | | | | |
| मू. | O. | 2400.00 | 2440.00 | 2400.00 | - 40.00 |
| पू. | S. | 40.00 | | | |

(II) ₹40.00 लाख का पूरक प्रावधान ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - भारतीय चिकित्सा औषधीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद'' के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय के पास अधिकृत स्थान का उपयोग न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of ₹40.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Medical Education, Training and Research – Ayurveda - Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad"– due to non-utilisation of authorization placed at the disposal of Ministry of Urban Development.